न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः– 37 / 2022 दर्ज दिनांक 23.12.2023

जी सी एम एस न0 2022 / 1049 निर्णय दिनांकः– 02.01.2023

1. श्रवण सिंह पुत्र सुगनसिंह
2. देवेन्द्रसिंह पुत्र मगनसिंह
3. समदरसिंह पुत्र सुगनसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण किशोरपुरा तहसील गुढागौडजी जिला झुन्झुनूं

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढागौड़जी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी

निर्णय

निर्णय दिनांकः– 02.01.2023

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना इस आशय का पेश किया है कि ग्राम गुढागौडजी की सरहद में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा न0 3805 / 1980, 3816 / 1982, 3806 / 1980, 3815 / 1982, 3804 / 1980, 3817 / 1982 रकबा क्रमशः 0.55, 0.48, 0.54, 0.49, 0.54, 0.49 है0 भूमि अवस्थित है। जिसके प्रार्थीगण खातेदार है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 20.12.2022 को पटवारी हल्का गुढागौडजी ने मौके पर जाकर सीमाज्ञान किया था। उक्तानुसार प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि की सीमा पर पत्थर गड्डी करवना चाहता है, ताकि भविष्य में कोई किसी प्रकार का विवाद सीमा बाबत् उत्पन्न नहीं हो। इस हेतु आवेदन पत्र सेवामें पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम गुढागौडजी की सरहद में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा न0 3805 / 1980, 3816 / 1982, 3806 / 1980, 3815 / 1982, 3804 / 1980, 3817 / 1982 रकबा क्रमशः 0.55, 0.48, 0.54, 0.49, 0.54, 0.49 है0 में सीमाज्ञान दिनांक 20.12.2022 के अनुसार पत्थरगड्डी करने के आदेश अप्रार्थी को फरमाया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजीस्टर होकर तलवी वास्ते जबाबदेही दी गई।

अप्रार्थी स्वय उपस्थित होकर आदेशिका में जवाब में बताया कि उक्त भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.12.2022 के अनुसार पत्थरगडडी करवाया जाना उचित है।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा न0 का सीमाज्ञान दिनांक 20.12.2022 के अनु[illegible]गड्डी के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:40:19 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ग्राम गुढागौडजी की सरहद में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा न0 3805/1980, 3816/1982, 3806/1980, 3815/1982, 3804/1980, 3817/1982 रकबा क्रमशः 0.55, 0.48, 0.54, 0.49, 0.54, 0.49 है0 भूमि अवस्थित है। जो प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। अतः प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगडढी करवाने के अधिकारी है। उक्त विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगडढी स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को आदेशित किया जाता हैं कि व ग्राम गुढागौडजी कि सरहद में स्थित भूमि खसरा न0 3805/1980, 3816/1982, 3806/1980, 3815/1982, 3804/1980, 3817/1982 रकबा क्रमशः 0.55, 0.48, 0.54, 0.49, 0.54, 0.49 है0 के चारो ओर सीमाज्ञान दिनांक 20.12.2022 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार शुल्क जमा कर सीमाचिन्ह यानी पत्थरगडी करवावे।

02/1/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 02.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/1/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:40:19 IST
Reason: SelfAttested